स्वत्व वाद संख्या 131 / 2022
सीआईएस 131 / 2022
दिनांक 06.12.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 06.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ से दिनांक 26.07.2023 को आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किया गया उसके पैरा 10 एव 11 में कहा गया कि विवादित जमीन में उनकी पत्नी अंगूरी खातून एवं याकूब खां एवं अयूब खां खरीदार हैं अतः इस वाद में उपरोक्त व्यक्तियों को फरीक बनाना आवश्यक है अतः न्यायालय से निवेदन है कि तीन व्यक्तियों 1. अंगूरी खातून पति मोहम्मद अयूम खां 2. याकूब खां पिता स्व0 नाथू खां 3. अयूब खां पिता स्व0 नाथू खां साकिन मधुबनी टोला दरियापुर थाना संग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण को प्रतिवादी बनाने की कृपा करे।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण ने मौखिक बहस में आवेदन का विरोध नहीं किया है।

मामले में वादी के आवेदन का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेख का अनुशीलन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है एवं परिसीमा अवधि के भीतर है चूंकि प्रतिवादीगण ने आवेदन का विरोध नहीं किया है चूंकि मामले में तीनों व्यक्ति 1. अंगूरी खातून पति मोहम्मद अयूम खां 2. याकूब खां पिता स्व0 नाथू खां 3. अयूब खां पिता स्व0 नाथू खां साकिन मधुबनी टोला दरियापुर थाना संग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण न्यायालय की राय में आवश्यक पक्षकार है अतः न्याय हित में आवेदन आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह तीनों व्यक्ति 1. अंगूरी खातून पति मोहम्मद अयूम खां 2. याकूब खां पिता स्व0 नाथू खां 3. अयूब खां पिता स्व0 नाथू खां साकिन मधुबनी टोला दरियापुर थाना संग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण का नाम दर्ज करे। एतद द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन अन्तर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।